

प्रेषक,

डॉ० दीपक कोहली,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल,
सेक्टर एच अलीगंज विस्तार,
उ०प्र० लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 19 अगस्त, 2020


विषय- जनपद-हमीरपुर में बिलरायों-पनवाड़ी मार्ग (राज्य मार्ग-21) के चैनेज 399.600 से 427.000 (चिकासी से राठ) तक 4 लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में प्रभावित 49.32 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 2611 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/Road/41235/2019)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-8बी/यू०पी०/०६/३८/२०२०/एफ०सी०/६७३, दिनांक 15.06.2020 के सन्दर्भ में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं०-289/11-सी-एफपी/यूपी/Road/41235/2019, दिनांक 10.08.2020 द्वारा उपलब्ध करायी गई आख्या/अभिलेख संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,



(डॉ० दीपक कोहली)
संयुक्त सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(डॉ० दीपक कोहली)
संयुक्त सचिव।